

व्यक्तगित डेटा संरक्षण वधियक की वापसी

परलिमिस के लिये:

डेटा संरक्षण, व्यक्तगित डेटा, प्राइवेसी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बलि, डेटा लोकलाइज़ेशन, अन्य संबंधित कानून

मेन्स के लिये:

व्यक्तगित डेटा संरक्षण का महत्त्व, डेटा सुरक्षा की चुनौतयाँ, डेटा सुरक्षा बलि के कार्यान्वयन हेतु उपाय

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने संसद से <u>व्यक्तगित डेटा संरक्षण विधयक</u> वापस ले लिया है क्योंकि यह विधयक दे<mark>श</mark> में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये ऑनलाइन स्थान को वनियिमति करने हेतु "व्यापक कानूनी ढाँचे" पर विचार करता है। Vision

व्यक्तगित डेटा संरक्षण विधयक और इसकी प्रमुख चुनौतियाँ:

- परचिय:
 - ॰ **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधयक, 2019** को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौ<mark>द्यो</mark>गिकी मंत्री द्वारा 11 दिसंबर, 2019 को <u>लोकसभा</u> में
 - ॰ आमतौर पर इसे "गोपनीयता विधयक" के रूप में जाना जाता है, इसका उददेश्य वयक्तिगत डेटा (जो कि वयक्ति की पहचान कर सकता है) के संग्रह, संचालन और प्रक्रिया को वनियिमति करके व्यक्तगित अधिकारों की रक्षा करना है।
- चनौतयाँ:
 - o कई लोगों का तर्क है कि **डेटा का भौतिक स्थान (Physical Location of the Data) साइबर दुनिया** में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि एन्क्रिप्शन कुंजी अभी भी राष्ट्रीय एजेंसियों की पहुँच से बाहर हो सकती है।
 - ॰ राष्ट्रीय सुरक्षा या उचित उद्देश्य खुले और व्यक्तपिरक शब्द हैं, जिससे नागरिकों के निजी जीवन में राज्य की घुसपैठ हो सकती है।
 - ॰ फेसबुक और गुगल जैसी बड़ी प्रौद्योगिकियाँ इसके खलाफ हैं और उनहोंने **डेटा स्थानीयकरण** की संरक्षणवादी नीति की आलोचना की है क्योंक िउन्हें डर है कि इसका अनुय देशों पर भी प्रभाव <mark>पड़ेगा</mark>।
 - सोशल मीडिया फर्मों, विशेषज्ञों और यहाँ तक कि मंत्रियों ने भी इसका विरोध किया था, जिन्होंने कहा था कि उपयोगकरतुताओं एवं कंपनियों दो<mark>नों के लिये प्र</mark>भावी तथा फायदेमंद होने हेतु इसमें बहुत सी कमियाँ हैं।
 - इसके अलावा इसका भार<mark>त के अपने युवा <u>सटाएटअपस</u> पर जो</mark> कि वैश्विक विकास का प्रयास कर रहे हैं, या भारत में विदेशी डेटा को संसाधित करने वाली बड़ी फर्मों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

वधियक वापस लेने का कारण:

- बहुत अधिक संशोधन:
 - ॰ संयुक्त संसदीय समिति (JCP) ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधयक, 2019 का विस्तृत विश्लेषण किया।
 - इस संबंध में 81 संशोधन प्रस्तावित किये गए थे, साथ ही डिजिटिल पारिस्थितिकी तंतुर पर एक व्यापक कानूनी ढाँचे की दिशा में 12
 - JCP की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कानूनी ढाँचे पर काम किया जा रहा है।
 - ॰ इसलिये इसे वापस लेने का प्रस्ताव आया।
- गहन अनुपालनः
 - ॰ विधेयक को देश के स्टार्टअप्स द्वारा "गहन अनुपालन के रूप में भी देखा गया था।
 - ॰ वशिष रूप से सुटार्टअप के लिये संशोधित बलि का अनुपालन करना बहुत आसान होगा।
- डेटा सथानीयकरण के मृददे:
 - ॰ टेक कंपनियों ने विधेयक में डेटा सुथानीयकरण नामक पुरस्तावित पुरावधान पर सवाल उठाया।

- डेटा स्थानीयकरण के तहत कंपनियों के लिये भारत के भीतर कुछ संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति संग्रहीत करना अनिवार्य होगा और देश से अपरिभाषित "महत्त्वपूर्ण" व्यक्तिगत डेटा का निर्यात प्रतिबंधित होगा।
- कार्यकर्त्ताओं ने आलोचना की थी कि यह केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों को विधैयक के किसी भी और सभी प्रावधानों का पालन करने से पूरी छूट देगा।
- हतिधारकों की नकारात्मक प्रतिकरिया:
 - ॰ इस विधेयक को हितधारकों की नकारात्मक आलोचना का सामना करना पड़ा, ये हितधारक हैं फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों और गोपनीयता एवं नागरिक समाज के कार्यकरतता।
- कार्यान्वयन में देरी:
 - विधेयक में देरी के लिये कई हितधारकों ने आलोचना करते हुए कहा कि यह गंभीर चिता का विषय है कि भारत के पास लोगों की गोपनीयता की रक्षा हेतु कोई बुनियादी ढाँचा नहीं है।

संयुक्त संसदीय समिति की सिफारशिं:

- इसने श्रीकृष्ण पैनल द्वारा अंतिम रूप दिये गए विधेयक में 81 संशोधन और गैर-व्यक्तिगत डेटा पर चर्चा को कवर करने के लिये प्रस्तावित कानून के दायरे के विस्तार सहित 12 सिफारिशों का प्रस्ताव रखा था, इसलिये 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को वापस लेने और एक नया विधेयक जो व्यापक कानूनी ढाँचे में फिट बैठता हो प्रस्तुत किया जाएगा।
 - गैर-व्यक्तिगत डेटा, डेटा का ऐसा समूह है जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी नहीं होती है।
- JCP की रिपोर्ट में सोशल मीडिया कंपनियों के नियमन और स्मार्टफोन में केवल "विश्वसनीय हार्डवेयर" का उपयोग करने आदि जैसे मुद्दों पर बदलाव की सिफारिश की गई है।
- इसने प्रस्तावित किया कि सोशल मीडिया कंपनियाँ जो बिचौलियों के रूप में कार्य नहीं करती हैं, उन्हें सामग्री प्रकाशक के रूप में माना जाना चाहिये. जिससे उनके दवारा प्रसत्त की जाने वाली सामगरी के लिये वे उततरदायी हो जाते हैं।

आगे की राह

- डेटा सथानीयकरण:
 - डेटा को ऐसे रूप में संग्रहीत किया जाना चाहिये जिस पर भारत सरकार का भरोसा हो और यह डेटा अपराध की जाँच के मामले में सुलभ होना चाहिये।
 - ॰ सरकार केवल **"वश्विसनीय भौगोलिक सीमा"** के पार डेटा प्रवाह की अनुमति देने पर भी विचार कर सकती है।
- डेटा का वर्गीकरण:
 - नया विधेयक डेटा स्थानीयकरण के दृष्टिकोण से व्यक्तिगत डेटा के वर्गीकरण को भी समाप्त कर सकता है और केवल उस स्थिति में डेटा का वर्गीकरण किया जा सकता है यदि किसी कंपनी द्वारा किसी के व्यक्तिगत डेटा के साथ छेड़-छाड़ की गई हो।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रारंभिक परीक्षा:

प्रश्न. 'नजिता का अधिकार' भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है?

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामला, 2017 में नजिता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था।
- निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में तथा भारतीय संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित है।
- निजता व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करती है और जीवन के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की क्षमता को पहचानती है। निजता एक पूर्ण अधिकार नहीं है लेकिन इस पर कोई भी आक्रमण इसकी वैधता, आवश्यकता तथा आनुपातिकता पर आधारित होना चाहिये।
- अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

प्रश्न. नजिता का अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तगित स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। निम्नलिखिति में से कौन-सा भारत के संविधान में उपर्युक्त्त कथन का सही और उचित अर्थ है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 और संवधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान।
- (b) अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
- (c) अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता।
- (d) अनुच्छेद 24 और संवधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान।

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के नौ-न्यायाधीशों की बेंच ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वसम्मति से पुष्टि की कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में निजता का अधिकार भी शामिल है।
- निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है।
- अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे का परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा 2017)

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/withdrawal-of-personal-data-protection-bill